

# कंगना रानौत ने दिल्ली के चुनाव से पूर्व भाजपा के लिये नई मुश्किल खड़ी की

कंगना की फिल्म “इमरजैसी” में दर्शाया गया है कि भिंडरवाला ने इंदिरा गांधी से सांठ-गांठ की थी कि अगर वे एक अलग सिख राज्य का गठन कर देती हैं तो वे सिख वोट कांग्रेस की झोली में डलवा देंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। भाजपा सांसद कंगना रानौत ने अपनी पार्टी को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी (एसजीपीसी) तथा अन्य सिक्ख संगठनों ने आज अमृतसर तथा अन्य जिलों के उन सिनेमा हॉलों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया, जहाँ अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रानौत की फिल्म “इमरजैसी” दिखाई जाने वाली थी। इसके बाद, सिनेमा प्रबन्धन ने किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिये फिल्म-प्रदर्शन को अपनी योजनाएं टाल दीं। इस बीच, सम्बंधित मल्टीप्लेक्सों, मॉलों तथा थिएटरों के बाहर, निरोधक उपायों के रूप में, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई।

एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि फिल्म का कथानक गलत है तथा इसमें सिक्खों की बुरी छवि प्रस्तुत की गई है और उन्हें उग्रवादी एवं राष्ट्र-विरोधी चित्रित किया गया है। एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि इस फिल्म में जनरैल सिंह भिन्डरवाले के माध्यम से प्रस्तुत की गई सिक्खों की भूमिका तथात्मक

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का इस बारे में कहना है कि यह कथानक सिक्ख समुदाय को आतंकवादी व देशद्रोही के रूप में बदनाम करने व छवि बिगाड़ने का प्रयास है। क्योंकि, तब तक तो उस समय भिंडरवाला के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी।

बल्कि, पंजाब के नेतागण, विशेषकर वो, जो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे, उदाहरण के लिये प्रकाश सिंह बादल व गुरुचरण सिंह टोहरा, ने कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये थे, जब इंदिरा गांधी ने इमरजैसी लागू करने का निर्णय लिया था।

पंजाब में कंगना रानौत की फिल्म का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है, सिक्ख समुदाय के विरोध के कारण।

सिख, दिल्ली में भारी संख्या में हैं। अतः इस फिल्म के कारण वहाँ के सिक्ख वोटर का विरोध भाजपा को भारी पड़ सकता है।

रूप गलत है। रानौत, जिन्हें “विवादों की रानी” कहा जाता है, इससे पहले भी अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों और कार्यों से भाजपा के लिये बड़ी उलझन भरी स्थिति पैदा कर चुकी हैं, लेकिन इस बार की स्थिति बिकुल अलग है, क्योंकि

सिक्ख ऐसे समय पर नाराज हो गये हैं, जब दिल्ली विधानसभा के चुनावों का प्रचार चल रहा है। दिल्ली में सिक्ख अच्छी-खासी संख्या में हैं।

फिल्म के रिलीज की पूर्व संख्या पर, एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त

सिंह मान तथा सभी जिलों के जिला कलेक्टरों से माँग की थी कि वे राज्य में फिल्म पर रोक लगा दें, अन्यथा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे।

एसजीपीसी की धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य अजायब सिंह अभ्यासी, जिन्होंने पीवीआर सूरज चन्दा तारा सिनेमा पर फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने कहा कि एसजीपीसी के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया है तथा फिल्म शो निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमने विरोध - प्रदर्शन तभी निरस्त किया, जब सिनेमा कॉम्प्लेक्सों के प्रबन्धन ने हमें फिल्म न चलाने का आश्वासन दे दिया। अमृतसर के एक मल्टीप्लेक्स में कुछ एडवॉस बुकिंग हो गई थी, जिनका पैसा टिकट खरीदने वालों को वापस कर दिया जायेगा।”

इस फिल्म में भारत में आपातकाल, जिसकी घोषणा 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, की उत्तेजनापूर्ण अवधि के खोजपूर्ण हालात प्रस्तुत किये गये हैं। 14 अगस्त, 2024 को रिलीज किये गये टीजर में, भिन्डरवाले इंदिरा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सूचना सहायक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने पर रोक जारी

जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही, अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वह विवादित एवं तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के

हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के विवादित सवाल के विषय विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिये बुलाने के आदेश दिये हैं।

विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिए अदालत ने पेश करे। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह अपने संभावित अंक बताए और उसका एक सवाल सही माना जाए तो क्या वह मैरिट में जा सकता है। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विवादित प्रश्नों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ठेकेदार पदमचंद को जेजेएम मिशन के ईडी प्रकरण में जमानत मिली

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस विनोद चन्द्रन की पीठ ने यह आदेश पदमचंद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत घोटाले के मूल केस में पहले की पदमचंद को जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडीई के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

# सिद्धारमैया व शिवकुमार के बीच कर्नाटक के मु.मंत्री पद का झगड़ा चरम पर पहुँचा

यह समझौता हुआ था कि ढाई-ढाई साल तक दोनों मु.मंत्री रहेंगे?

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। मुद्दा गर्माया वर्ष 2025 शुरू होने पर, जिस वर्ष में कर्नाटक राज्य की सत्ता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हाथ से उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के हाथों में जानी थी। हाईकमान के हस्तक्षेप के बावजूद, कर्नाटक कांग्रेस में नए सिरे से शुरू हुआ घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। निजी डिनर मीटिंग हुई हैं और नए पी.सी.सी. प्रमुख की नियुक्ति के लिए खुले तौर पर आह्वान किया गया है, जिससे 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी फिर से नज़र आने लगी है।

घटनाक्रमों का सिलसिला नए साल की शुरुआत से शुरू हुआ। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का यह अंतिम वर्ष होगा, जिसके बारे में उनके और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच “पावर शेयरिंग” फार्मूला तय हुआ था और जिसके तहत दोनों को ढाई-ढाई साल के लिए राज्य की सत्ता संभालनी थी। तथापि, इस बात की कभी भी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि,

सिद्धारमैया के हाथ से इस बारे में दावे सामने आते रहे हैं। अब, जहाँ सिद्धारमैया के समर्थक यह सुनिश्चित करने के लिए उनके खेमे को लामबंद कर रहे हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें, वहीं, शिवकुमार के समर्थक माहौल को गर्म रख रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि हाल ही में सिद्धारमैया ने नेतृत्व में बदलाव से इन्कार करते हुए, शिवकुमार पर सीधा हमला किया। सिद्धारमैया खेमे ने भी यह मांग करते हुए दबाव बनाया है कि शिवकुमार पी.सी.सी. अध्यक्ष का पद छोड़ें,

अब सिद्धारमैया शासन का ढाई साल पूरा होने का समय आ रहा है. पर, सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं नज़र आते।

बल्कि, सिद्धारमैया के खेमे ने अभियान शुरू किया है कि शिवकुमार को प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिये, क्योंकि वे प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं तथा महत्वपूर्ण पद संभाले हुए हैं।

शिवकुमार की पोजीशन कुछ कमज़ोर हुई है, क्योंकि गत लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ज्यादा ठीक नहीं रहा, कांग्रेस 28 सीटों में से केवल नौ सीटें ही जीत पाई थी।

क्योंकि वे मंत्री भी हैं। इस सप्ताह के प्रारंभ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह विवाद सामने आया, जहाँ, शिवकुमार तथा सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी, लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जरकीहोली जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के निर्माण को लेकर भिड़ गए।

सिद्धारमैया के एक वरिष्ठ मंत्री, जो मुख्यमंत्री के समर्थक भी हैं, ने हाल ही में कहा, “यदि पावर शेयरिंग फार्मूला है भी, तो वो सिद्धारमैया के ढाई साल सत्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर “स्टे” लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली सरकार, केन्द्रीय सरकार से अनुबंध (एमओयू) करे, प्र.मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के दिसम्बर, 2024 के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आशिषी मारलेना की आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिये गये थे कि वह राष्ट्रीय राजधानी में “प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दे।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा ऑफिसल जॉर्ज मसीह की बैंच ने नोटिस जारी करके, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर, केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।

दिल्ली हाई कोर्ट का मानना था कि जब देश के 33 राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र इस एमओयू पर हस्ताक्षर करके, जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं तो दिल्ली सरकार का ऐसा न करना गैर वाजिब है।

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता का तर्क था कि यह सच है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का 60 प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार देगी, पर, सेवा चलाने का खर्चा केन्द्रीय सरकार नहीं देगी।

दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रश्न किया कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य कैसे कर सकता है। सिंघवी ने बैंच को बताया कि अगर एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो केन्द्र सरकार पूँजीगत व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी तथा दिल्ली सरकार को 40 प्रतिशत व्यय वहन

करना होगा, लेकिन केन्द्र इस स्कीम के संचालन पर होने वाले खर्च का कोई इन साझा नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के संचालन के वित्तीय घटक के मुद्दे का संकेत देने के बाद, सिंघवी ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार की अपनी स्वयं की स्कीम की पहुँच एवं विस्तार (रीच एंड कवरेज) केन्द्र की योजना से काफी बड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रश्न किया कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य कैसे कर सकता है। सिंघवी ने बैंच को बताया कि अगर एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो केन्द्र सरकार पूँजीगत व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी तथा दिल्ली सरकार को 40 प्रतिशत व्यय वहन

31जनवरी से संसद सत्र, 1 फरवरी को बजट

नई दिल्ली, 17 जनवरी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस सत्र में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट सत्र के दौरान, दिल्ली

बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक तथा दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

चुनाव के दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। वहीं, 3 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के अनुरूप, सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# पिछली सरकार में फर्जी डिग्रियों से मिली थी, कई लोगों को शारीरिक शिक्षक की नौकरी!

अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां, गलत रोल नंबर और दस्तावेज पेश किये, परंतु तत्कालीन अफसरों ने बिना जांचे इन लोगों को नौकरियां दे डाली थीं

जयपुर, 17 जनवरी (कास)। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपरलीक का मामला सुर्खियों में रहा और अब फर्जीवाड़े व चोटींग के नये-नये खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही दूसरा मामला शारीरिक शिक्षा अभ्यापक भर्ती-2022 में भी सामने आया है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां और दस्तावेजों के दम पर नौकरियां तक हासिल कर लीं। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की शर्तों में साफ उल्लेख था कि अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय

गलत जानकारी देगा तो उसका आवेदन पत्र संशोधन की तिथि के बाद मंजूर नहीं किया जायेगा। ज्ञात रहे कि इस भर्ती में बी.पी.एड. (बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन) की डिग्री प्राप्त होना आवश्यक था, इसलिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय खुद का रिजल्ट और डिग्रियां लंबित अथवा दूसरे विश्वविद्यालयों का नाम और रोल नंबर बता दिए। हैरानी की बात यह है कि इन अभ्यर्थियों की कार्रगुजारी को दस्तावेज सत्यापन के समय तत्कालीन गहलोत सरकार के सरकारी महकमों ने भी नजर अंदाज कर दिया था और उन्हें

अब सरकार ने पेपरलीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों की जांच शुरू की तो गहलोत सरकार के नये-नये काले कारनामे उजागर हो रहे हैं।

जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाई, उन्होंने ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी, जे.एस. यूनिवर्सिटी और कलिंगा विश्वविद्यालय की “डिग्रियां” दस्तावेज सत्यापन के समय पेश की थीं।

नौकरी तक दे डाली। अब सरकार ने पिछली सरकार के समय भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक और

फर्जीवाड़े से नौकरी पाने वालों की जांच शुरू करवाई तो गहलोत सरकार के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। राज्य

गणपतलाल के कागजातों की जांच की तो सामने आया कि 22 जुलाई 2022 को आवेदन के समय गणपतलाल ने बी.पी.एड. मध्यप्रदेश की स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर से करना बताया था। उसने अपना परिणाम लंबित (अवेटेड) बताते हुए रोल नंबर अंकित नहीं किया था। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय चूरू की ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय की चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन अंकतालिका पेश की, जिसका रोल नंबर “22बीपीएड12534” अंकित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट की डबल बैंच ने यह आदेश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर दिये।

तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 18 सितंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंडीकेट बैंक घोटाले के मास्टर माइंड की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए से जुड़े सिंडीकेट बैंक घोटाले के ईडी मामले में मास्टर माइंड सीए भरत बंब की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं, मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए बाद में देना

हाईकोर्ट ने डबल बैंच ने यह आदेश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर दिये।

तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 18 सितंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)